



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या- (0755) 2551650

क्रमांक/2630/प.स./2022

भोपाल दिनांक 17/11/2022

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।


विषय:- सी.एम.राइज उत्कृष्ट संस्थानों को मण्डल परीक्षा के कार्य से मुक्त करने विषयक।

संदर्भ:- आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल का पत्र क्र./सी.एम.राइज/पीएमयू/
2022/123 भोपाल दिनांक 11.11.2022।

--//--

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है। संदर्भित पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये, यदि जिले में समन्वय संस्था/मूल्यांकन केन्द्र अथवा परीक्षा केन्द्र परिवर्तन करने की आवश्यकता हो, तो कृपया दिनांक 25.11.2022 तक मण्डल मुख्यालय भोपाल को अनिवार्यतः अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-संदर्भित पत्र की छायाप्रति।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,


मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 17/11/2022

पृष्ठांकन क्रमांक/2631/प.स./2022

प्रतिलिपि-

- 1- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 2- निज सचिव-अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल।
- 3- आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 4- समस्त संभागीय, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
- 5- समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 6- परीक्षा पंजीयक/समस्त स.स./क.अ., मा.शि.म.म.प्र।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462023

दूरभाष - 91-0755-2583650 फ़ैक्स - 91-0755-2583651

ईमेल - cmrisedpi@gmail.com

क्र.-सी.एम.राइज़/पीएमयू/2022/123

भोपाल दिनांक - 11/11/2022

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

समस्त जिले म.प्र.

विषय :- सी.एम. राइज़ विद्यालयों में स्टाफ एवं विद्यालय को अन्य परीक्षाओं एवं कार्यों से मुक्त रखने विषयक।

- संदर्भ :- 1 म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रं./928/1383/2022/20-2 भोपाल दिनांक 20.05.2022 एवं पत्र क्रं./57/पी.एस./2022/20-2 भोपाल दिनांक 26.05.2022।
2 आयुक्त लोक शिक्षण का पत्र क्रं./सी.एम. राइज़/2022/665-666 भोपाल दिनांक 02.06.2022।


—00—

प्रदेश में सी.एम. राइज़ विद्यालय उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उच्च स्तरीय विद्यालय की परिकल्पना पर प्रारंभ किए गए हैं। परंतु सी.एम. राइज़ विद्यालय के प्राचार्यों के द्वारा अवगत कराया गया है कि अभी भी उनके विद्यालय परिसर तथा स्टाफ को गैर शैक्षणिक कार्यों में निरंतर रूप से लगाया जा रहा है। यह स्थिति खेद जनक है। पूर्व में भी संदर्भित पत्रों के आधार पर इन विद्यालयों को एवं इनके स्टाफ को अन्य कार्यों एवं बाह्य परीक्षाओं से मुक्त रखने के निर्देश दिए गए थे।

पुनः इस संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश के समस्त सी.एम. राइज़ विद्यालयों में निम्नानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जावे -

1. समस्त सी.एम. राइज़ विद्यालयों के भवन एवं परिसर का उपयोग पुस्तक वितरण, स्ट्रॉग रूम एवं मूल्यांकन केन्द्र के रूप में न किया जावे।
2. समस्त सी.एम. राइज़ विद्यालयों का उपयोग बोर्ड परीक्षाओं के परीक्षा केन्द्र, डीएलएड, पूरक परीक्षा एवं अन्य बाह्य परीक्षाओं के लिए न किया जावे, क्योंकि आगामी माहो में इन विद्यालयों में निर्माण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
3. सी.एम. राइज़ विद्यालयों के स्कूल लीडर्स एवं स्टाफ को डीएलएड परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य एवं अन्य कार्यों में संलग्न न किया जाये।
4. सी.एम. राइज़ विद्यालयों के स्टाफ की ड्यूटी बीएलओ एवं अन्य कार्यों में न लगाई जाए। अतः प्राथमिकता के आधार पर इसे सुनिश्चित कराए कि सी.एम. राइज़ विद्यालयों के स्टाफ की ड्यूटी बीएलओ इत्यादि के रूप में न लगे।

अतः कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।



(अभय वर्मा)


आयुक्त

लोक शिक्षण म.प्र.

पृ. क्र.-सी.एम. राइज/पीएमयू/2022/124
प्रतिलिपि -

भोपाल दिनांक - 11/11/2022

1. प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन।
2. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
3. कलेक्टर समस्त जिले म.प्र.।
4. प्राचार्य समस्त सी.एम. राइज विद्यालय म.प्र. की ओर सूचनार्थ।


आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.